उत्तर प्रदेश विकास परिषद अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 2006)

THE UTTAR PRADESH DEVELOPMENT COUNCIL ACT, 2006

(U.P. Act No. 11 of 2006)

उत्तर प्रदेश विकास परिषद् अधिनियम, 2006[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 4 अप्रैल, 2005 को अनुमति प्रदान की तथा उ0प्र0 गजट असाधारण में दिनांक 5 अप्रैल, 2006 को प्रकाशित हुआ।]

राज्य में विनिधान परक वातावरण तैयार करने, उद्योगो की स्थापना एवं विकास करने, किये गये निवेश के अनुसार विनिर्दिष्ट उद्योगो को विशेष प्रास्थिति/प्रोत्साहन देने, औद्योगिकरण की प्रक्रिया में गतिरोध/अवरोधों को दूर करने और राज्य मे विनिधान आकृष्ट करने, सरकारी प्रक्रिया का सरलीकरण करने, राज्य में सेवायोजन के अवसरों में वृद्धि करने हेतु श्रम–विधियों का सुव्यवस्थीकरण करने के लिए किये जाने वाले उपायों पर सरकार को सलाह देने हेतु राज्य में उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की स्थापना और उससे सम्बंधित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

अध्याय–एक
प्रारंभिक

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विकास परिषद् अधिनियम, 2006 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 15 अक्टूबर, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2– (क) "बोर्ड" का तात्पर्य पूर्ववर्ती परिषद् के गवर्नर बोर्ड से है ; — परिभाषाएं

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य परिषद् के अध्यक्ष से है ;

(ग) "संयोजक" का तात्पर्य परिषद् के संयोजक से है ;

(घ) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश विकास परिषद् से है ;

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य परिषद् के सदस्य से है ;

(च) "पूर्ववर्ती परिषद् का तात्पर्य औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–55 (सचिव–ग–कैंम्प) औ0 वि0 अनु0–6, दिनांक 15 अक्टूबर, 2003 को प्रथम स्थापित और बाद में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन निबन्धक सोसाईटी द्वारा क्रमांक 2348/2003–2004 पर पहली मार्च, 2004 को सोसाईटी के रूप में पंजीकृत उत्तर प्रदेश विकास परिषद् से है ;

(छ) "सचिव" का तात्पर्य परिषद् के सदस्य–सचिव से है।

---

1. उद्देश्य व कारण हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

अध्याय – दो
परिषद् की स्थापना, कारबार का संचालन, कृत्य, शक्तियाँ, निधि, लेखा एवं लेखा–परीक्षा

3–(1) उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के नाम से एक परिषद् की स्थापना की जाएगी। परिषद् की स्थापना

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी।

(3) परिषद् सभी प्रयोजनों के लिये एक स्थानीय प्राधिकरण समझी जाएगी।

(4) परिषद् का प्रधान कार्यालय लखनऊ में होगा और इसके ऐसे अन्य स्थानों पर भी कार्यालय हो सकते हैं, जहाँ वह आवश्यक समझे।

4–(1) परिषद् में निम्नलिखित होंगे :–– परिषद् का गठन

(क) अध्यक्ष जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु यह कि पूर्ववर्ती परिषद् का अध्यक्ष, पूर्ववर्ती परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने के दिनांक से परिषद् का अध्यक्ष माना जाएगा :–

(ख)	उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव	–	पदेन संयोजक
(ग)	उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ;	–	पदेन सदस्य सचिव
(घ)	उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा विभाग का प्रमुख सचिव ;	–	पदेन सदस्य
(ङ)	उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त विभाग का प्रमुख सचिव,	–	पदेन सदस्य
(च)	उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी विभाग का प्रमुख सचिव ;	–	पदेन सदस्य
(छ)	उत्तर प्रदेश सरकार में कर एवं निबन्धन विभाग का प्रमुख सचिव ;	–	पदेन सदस्य
(ज़)	उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व विभाग का प्रमुख सचिव,	–	पदेन सदस्य
(झ)	उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग का प्रमुख सचिव ;	–	पदेन सदस्य
(ञ)	उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन विभाग का प्रमुख सचिव ;	–	पदेन सदस्य

(ट़) उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यावरण विभाग का प्रमुख सचिव; — पदेन सदस्य

(ठ) उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम विभाग का प्रमुख सचिव ; — पदेन सदस्य

(ड) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड ; — पदेन सदस्य

(ढ) अर्थ तंत्र के विभिन्न क्षेत्रों के 12 से अनधिक प्रख्यात व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित किये जाएंगे :

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा नामित पूर्ववर्ती परिषद् का सदस्य, पूर्ववर्ती परिषद् में अपने नामित किये जाने के दिनांक से परिषद् का सदस्य माना जाएगा और वह अपना पद–त्याग करने या अन्यथा रिक्त यदि कोई हो, किये जाने तक बना रहेगा।

(2) राज्य सरकार या परिषद् समय–समय पर विशेष आमंत्रितियों के रूप में उपयुक्त व्यक्तियों को भी नामित कर सकती है :

परन्तु यह कि पूर्ववर्ती परिषद् के लिये राज्य सरकार या परिषद् द्वारा नामित विशेष आमंत्रिती, पूर्ववर्ती परिषद् मे अपने नामित किये जाने के दिनांक से परिषद् के विशेष आमंत्रिती माने जाएंगे।

(3) परिषद् किसी व्यक्ति को परिषद् की बैठक में किसी विषय पर उसको परामर्श देने या सहयोग करने के प्रयोजनार्थ आमंत्रित कर सकती है, और ऐसा आमंत्रित व्यक्ति परिषद् की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) परिषद् में कोई रिक्ति होने या उसके गठन या उसके कार्य या कार्यवाही में त्रुटि या अनियमितता के कारण परिषद् का कोई कार्य या उसकी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होंगी।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि

5–(1) परिषद् का अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा जब तक कि उसके कार्यकाल का पर्यवसान पूर्व में राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा न किया जाए और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(2) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ढ) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए सदस्य बना रहेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आदेश द्वारा उसके कार्यकाल का पर्यवसान न किया जाए और वह पुनर्नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा अपने पद या सदस्यता से त्याग–पत्र दे सकता है, और/या ऐसा त्याग–पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर उसे अपने पद से रिक्त हुआ समझा जाएगा।

(4) अध्यक्ष और उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदस्य अवैतनिक होंगे।

परिषद् के कर्मचारीवृन्द

6–(1) परिषद् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपना समुचित कार्य करने के लिए उपयुक्त पदों का सृजन कर सकता है।

(2) परिषद् उपधारा (1) के अधीन सृजित किये गये पदों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार अस्थायी, स्थायी या संविदा के आधार पर उपर्युक्त व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है या उन्हें नियोजित कर सकता है और उन्हें मजदूरी वेतन आदि का संदाय कर सकता है तथा उन्हें भविष्य निर्वाह निधि, उपदान आदि की प्रसुविधाओं सहित ऐसी अन्य प्रसुविधाएं अनुज्ञात कर सकता है जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाये।

(3) इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में परिषद् या उसके किन्ही कृत्यकारियों द्वारा की गयी किसी व्यक्ति की नियुक्ति प्रारम्भ से शून्य होगी और उसकी सेवायें इस आधार पर किसी भी समय संक्षेपतः समाप्त किये जाने योग्य होगी।

(4) परिषद् अपने अंशकालिक कृत्यकारी के रूप में सरकार या किसी संगठन के पूर्व अनुमोदन से उसके कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति कर सकती है :

परन्तु ऐसे उपर्युक्त कृत्यकारी, जो पूर्ववर्ती परिषद् में कार्य कर रहे थे, परिषद् में कार्य करते रहेंगे।

परिषद् के कृत्य

7–परिषद् के निम्नलिखित कृत्य होंगे :––

(क) निम्नलिखित के लिए उठाये जाने वाले कदमों पर राज्य सरकार को सलाह देना, –

(1)राज्य में विनिधानपरक वातावरण को सवंर्धित करना।

(2) उद्योग और सेवाओं की स्थापना और विकास।

(3) उद्योगो और सेवाओं को विशेष प्रास्थिति/प्रोत्साहन देना।

(4) राज्य में औद्योगिकीकरण और विनिधान की प्रक्रिया में गतिरोध/बाधाओ को दूर करना।

(5) राज्य के विभिन्न परिक्षेत्रों को स्थानीय क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण सहित आर्थिक विकास।

(6) राज्य में विनिधान को आकर्षित करना।

(7) सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

(8) श्रम विधियों को युक्तिसंगत बनाना जिससे कि राज्य में रोजगार के अवसर में वृद्धि हो।

(ख) ऐसे अन्य कृत्य जो विहित किये जायें।

परिषद् की शक्तियां

8–(1) परिषद् के कृत्यों को सुकर बनाने के लिए परिषद् राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के अधीन किसी प्राधिकरण या किसी अन्य अभिकरण से कोई सूचना मंगा सकता है।

(2) परिषद् राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कृत्यकारी या राज्य सरकार के अधीन किसी अभिकरण या प्राधिकरण को परामर्श के लिए बुला सकता है।

बैठक संचालित करने की प्रक्रिया

9–परिषद् के लिए बैठक संचालित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी कि जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाय।

10–इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त की जाने वाली किसी समिति को या परिषद् के संयोजक सचिव या किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतिनिधानित कर सकता है जैसाकि वह उचित समझे। शक्तियों का प्रतिनिधायन

11–परिषद् की सभी कार्यवाहीयों को अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जायेगा और परिषद् के सभी आदेशो और अन्य लिखितों को परिषद् के सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी, जिसे इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए, के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाएगा। परिषद् के आदेशों और अन्य लिखितों का अभिप्रमाणन

12–(1) परिषद् की स्वयं की अपनी निधि होगी जिसे परिषद् निधि कहा जायेगा जो स्थानीय निधि होगी जिसमें परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जायेगी। परिषद् की निधियां

(2) परिषद् भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदान और सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों और कम्पनियों से अंशदान प्राप्त कर सकेगी और प्रदान की गयी सेवाओं के लिए फीस और प्रभार का भी संग्रह कर सकेगी।

(3) धारा 16 में किसी बात के होते हुए भी परिषद् निधि का प्रबन्ध और नियंत्रण परिषद् द्वारा स्वायत्तशासी निकाय के रूप में किया जाएगा।

13–(1) परिषद् समुचित लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेखो का रख–रखाव करेगी और तुलन–पत्र को सम्मिलित करते हुए लेखों का वार्षिक विवरण ऐसे रूप में तैयार करेगी जैसा कि परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए। लेखा और लेखा परीक्षा

(2) परिषद् का लेखा, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के वार्षिक लेखा परीक्षा के अधीन होगा :

परन्तु निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के स्थान पर या इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या किसी अन्य लेखा परीक्षक को अपने द्वारा दिए गए अनुदान के संबंध में, लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा जा सकता है।

(3) परिषद् का लेखा, लेखा परीक्षकों द्वारा यथा प्रमाणित इसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित परिषद् के समक्ष वार्षिक रूप से या ऐसे समय पर जिसे उसके द्वारा निर्देशित किया जाए, रखा जाएगा।

अध्याय–तीन
नियम और विनियम

14–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

परन्तु यह कि राज्य सरकार भूतलक्षी दिनाक से नियम बना सकती है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से पूर्व का न हो।

15–(1) परिषद् के प्रशासन और कार्यकलाप के लिए परिषद् इस अधिनियम या एतव् अधीन बनाए गए नियमों से असंगत विनियम बना सकती है। विनियम बनाने की शक्ति

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनिमय निम्नलिखित सभी या किसी एक मामले के लिए उपबन्ध कर सकते है, अर्थात :–

(क) परिषद् की बैठक बुलाना और आयोजित करना, ऐसी बैठकों का कार्यसंचालन करना और इसकी गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या ;

(ख) परिषद् के संयोजक और सचिव के अधिकार और कर्तव्य ;

(ग) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्ते ;

(घ) इसकी बैठकों और इसकी समितियों की बैठकों में सम्मिलित होने के लिए अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य आमंत्रियों को दिया जाने वाला भत्ता ;

(ङ) परिषद् की परिसम्पत्तियों का प्रबन्ध।

राज्य सरकार द्वारा नियंन्त्रण

16–धारा 12 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद्, अध्यक्ष, संयोजक या सचिव ऐसे निर्देशो का कार्यान्वयन करेंगे जैसा कि इस अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिए जाए।

अध्याय–चार
प्रकीर्ण

निहित होना, उपशमन और व्यावृत्ति

17–(1) परिषद् की स्थापना के दिनांक से पूर्ववर्ती परिषद् अस्तित्व में नही रह जाएगी और उपशमित हो जायेगी और इसकी सभी आस्तियाँ, दायित्व अधिकार और बाध्यताएं परिषद् में निहित हो जायेगी ।

(2) पूर्ववर्ती परिषद् के निहित होने और उपशमित होते हुए भी उक्त पूर्ववर्ती परिषद् द्वारा किया गया कोई कार्य या की गयी या चालू रहने वाली कोई कार्यवाही परिषद् द्वारा किया गया या चालू रहने वाला कार्य समझा जायेगा।

(3) पूर्ववर्ती परिषद् द्वारा या इसके विरूद्ध संस्थित या प्रतिवाद किये जा रहे सभी वाद और अन्यविधिक कार्यवाहियों जो उपधारा (1) के अधीन निहित होने और हस्तान्तरण के सिवाय संस्थित हों या प्रतिवाद किये गये हों, को परिषद् द्वारा या इसके विरूद्ध चालू या संस्थित या प्रतिवाद किया जा सकेगा।

सम्पत्ति के निहित होने पर राज्य सरकार के निर्णय का अंतिम होना

18–जहां कोई शंका या विवाद उत्पन्न होता है कि धारा 17 के अधीन कोई सम्पत्ति या आस्ति परिषद् में निहित है या नहीं या उस धारा के अधीन कोई अधिकार, दायित्व या बाध्यताएं परिषद् के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं है या नहीं, तो ऐसी शंका या विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट की जायेगी जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

संरक्षण

19–किसी व्यक्ति के विरूद्ध या किसी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या एतद्धीन बनाये गये किन्ही नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

20–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा राज्य सरकार ऐसे उपबन्ध बना

सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो कठिनाइयाँ दूर करने के लिए उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये प्रत्येक आदेश, अपने बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जायेंगे।

परिषद् का विघटन

21–(1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उन प्रयोजनों की पर्याप्त रूप से प्राप्ति हो गयी है जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन परिषद् की स्थापना की गयी थी या उसकी राय में परिषद् उन उद्‌देश्यों की प्राप्ति में सक्षम नहीं हो पा रही है जिसके लिए उसकी स्थापना की गयी थी और जिसके कारण परिषद् का विद्यमान बने रहना राज्य सरकार की राय में अनावश्यक हो गया है, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषण कर सकती है कि परिषद् उस दिनांक से विघटित हो जायेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये और परिषद् तदनुसार विघटित समझी जायगी।

(2) उक्त दिनांक से, –

(क) समस्त सम्पत्तियां, निधियां और देय जो परिषद् मे निहित है या उसके द्वारा वसूल किये जाने वाली है, राज्य सरकार मे निहित हो जायेगी या उसके द्वारा वसूल की जायेगी।

(ख) समस्त दायित्व जो परिषद् के विरूद्ध प्रवर्तनीय हों, राज्य सरकार के विरूद्ध प्रवर्तनीय हो जायेंगे।

———

उद्‌देश्य और कारण

राज्य में विनिधानपरक वातावरण तैयार करने, उद्योगो की स्थापना करने, किये गये विनिधान के अनुसार उद्योगो को विशेष प्रास्थिति और प्रोत्साहन देने, औद्योगीकीकरण के लिये व्यवधान और बाधाएं दूर करने और राज्य में विनिधान आकर्षित करने, सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, श्रम विधियों को युक्तिसंगत बनाने, जिससे राज्य में रोजगार के अवसरों मे वृद्धि हो और इससे सम्बन्धित मामलों में उठाये जाने वाले कदमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये, राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन 15 अक्टूबर, 2003 को किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अनेक गणमान्य और अग्रणी हस्तियों को परिषद् का सदस्य नाम–निर्दिष्ट किया गया था। उनसे प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान से परिषद् राज्य सरकार को समय–समय पर विभिन्न नीति सम्बंधी सूत्रपात की सिफारिश करती रही है, जिसके आधार पर राज्य सरकार ने राज्य की अर्थ–व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिये अनेक नीतियों को शुरू करने की घोषणा की है । राज्य सरकार द्वारा इस नीति सम्बधी सूत्र के परिणामस्वरूप वर्ष 2005 की अवधि में तैंतीस हजार करोड़ रूपये की सीमा तक विनिधान के लिये प्रस्ताव आकर्षित करने में राज्य समर्थ हुआ है जो राज्य के लिये एक कीर्तिमान है। अनेक अन्य राज्यों ने इस नीति सम्बंधी सूत्रों को अपनाया है। परिषद् द्वारा विचारों की स्वंतत्रता और कार्य करने की स्वायत्ता के कारण परिषद् के लिये नई नीतियों की सिफारिश करना सम्भव हुआ है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त परिषद् को स्वायत्तशासी प्रास्थिति के साथ एक स्थानीय प्राधिकरण के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से स्थापित करने के लिये विधि बनाई जाए जिससे यह राज्य के विकास और उसके हितों के लिये अपने दायित्वों को अधिक प्रभावशाली रूप से निर्वहन करने मे समर्थ हो सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।